भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/23/2021/एफ0 सी0/1446 दिनांकः 19/01/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/40805/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1592/FP/UK/ROAD/40805/2019 दिनांक 03-01-2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17/03/2021 में अंकित 11 बिन्दुओं का उत्तर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 06/01/2022 के अनुसार राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। प्रस्तुत उत्तर का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के नोडल स्तर पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्राप्त जवाब का ठीक से अवलोकन नहीं किया गया है सभी उपलब्ध दस्तावेज एवं आनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध के0एम0एल0 फाईल का परीक्षण करने के उपरान्त अभी भी निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. प्रस्तुत बार चार्ट पर उपलब्ध जानकारी अनुसार लाभान्वित होने वाले ग्राम पौण एवं डूंगरी को के0एम0एल0 फाईल पर नहीं दर्शाया गया है।
2. मार्ग को पूर्व स्वीकृत चाण्डाक–धारी मोटर मार्ग से प्रारम्भ कर आगे डूंगरी तक बढ़ाया जा रहा है। जबकि प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य मे आरक्षित वन क्षेत्र पड़ता है और कोई भी आबादी दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र मे अंकित बिन्दु क्र0 1 से 13 तक के समरेखण का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
3. 'धारी' गांव के दांयी ओर एक अन्य मार्ग दिखायी दे रहा है जिसकी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है जहां से यदि आवश्यक हो तो धारी गांव को जोड़ा जा सकता है जिससे निश्चित ही पातन में कमी आयेगी।

राज्य सरकार इस संबंध में वैकल्पिक मार्ग का विवरण एवं के0एम0एल0 फाईल तैयार कर संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा आगामी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. इसके अतिरिक्त अन्त बिन्दु से ग्राम धारी पर मार्ग को समाप्त किया जा सकता है। धारी गांव को दोनो ओर से मार्ग से जोड़ने का औचित्य भी अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट किया जायें।

प्रस्ताव को आगामी **एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 27.01.2022** में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि बैठक से पूर्व पूर्ण जानकारी प्रेषित करें एवं चर्चा के दौरान प्रस्तुतीकरण करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)